# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987

#### धाराश्रों का कम

#### ग्राज्याय 1

### प्रारंभिक

#### वाराष्

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा।
- 3. परिभाषाएं ।

#### भ्रध्याय 2

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

- 4. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निगमन ।
- 5. भारतीयः डेरी निगमः के उपक्रमों का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित होना भीर भारतीय डेरी निगम का विघटन।
- 6. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निगमन का प्रभाव ।
- 7. विधिक कार्यवाहियों की स्थावृत्ति ।

#### मध्याय 3

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रबंध

- 8. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रबंध धौर उसके निदेशक बोर्ड की संरचना ।
- 9. ग्रध्यक्ष ग्रीर निदेशकों का कार्यकाल ग्रीर सेवा की शर्त, ग्रादि ।
- 10. बोर्ड की बैठकेंं।
- 11. बोर्ड के कारबार के संव्यवहार की रीति ।
- 12. प्रबंध समितियां ।
- 13. प्रबंध समितियों के सदस्यों के भत्ते, ग्रादि ।
- 14. प्रबंध समितियों, धादि को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
- 15. पूर्णकालिक निदेशकों, आदि को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

#### मध्याय 4

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की शक्तियां ग्रौर उसके कृत्य -

16. राष्ट्रीयः डेरी विकासः बोर्ड की शक्तियां भौर उसके इत्यः ।

#### मध्याय ५

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशकों ग्रौर कर्मचारियों से संबंधित उपबंध

17. सोसाइटी के बोर्ड के सदस्यों मौर विघटित कंपनी के निदेशकों के संबंध में उपबंध । घाराएं

- 18 सोसाइटी और विघटित कंपनी के प्रधिकारियों और ग्रन्थ कर्मचारियों से संबंधित उपबंध ।
- 19. बोर्ड की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के संगठनात्मक और इत्य शील स्थापन की कार्यकरण में ग्राधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुनःसंरचना करने तथा सरल और कारगर बनाने की शक्ति ।
- 20. ग्रनावश्यक कर्मचारियों, ग्रादि को प्रतिकर के संबंध में स्कीमें।
- 21. कर्मचारियों के अंतरण के लिए प्रतिकर का संदेय न होना।
- 22. भविष्य निधि, उपदान, कल्याण ग्रौर ग्रन्थ निधियां ।

#### मध्याय 6

## वित्त, लेखा ग्रौर लेखापरीक्षा

23 बोर्ड की उधार लेने की शक्तियां ।

24 केंद्रांग सरकार द्वारा ग्रनुदान और उधार ।

25. अनुदान, संदान, ग्रादि ।

26 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि ।

27. लेखा और तुलनपत्न तैयार करना ।

28. लेखापरीक्षा ।

29. रिपोर्टों को संसद् के समक्ष रखा जाना ।

30 करार पाई गई ग्रवधि के पूर्व प्रतिसंदाय की ग्रपेक्षा करने की गवित । 31. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ढारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष उपबंध ।

## मध्याय 7 प्रकीर्ण

32. नियुक्ति में तुटियों से बोर्ड के कार्यों, ग्रादि का ग्रविधिमान्य न होना।

33. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण ।

34. निदेशकों की क्षतिपूर्ति ।

35. विश्वस्तता और गोपनोयता की बाबत बाध्यता ।

36. ग्रतिरिक्त ग्रधिकारियों ग्रौर ग्रन्थ कर्मचारियों की भर्ती ।

37. केंद्रोंग सरकार के ग्रादेशों के ग्रधीन ही समापन ।

38. केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

39. लेखा परीक्षकों के लिए संक्रमगकालीन उपबंध ।

40. ग्रध्यक्ष और बोर्ड के संबंध में संजमगकालीन उपबंध ।

41. अन्य संगठनों का प्रबंध और उनकी सहायता का जारी रहना ।

42 मदर डेरी का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक समनुषंगी एकक होना ।

43. केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कंपनियों का बनाया जाना ।

44. ग्राय पर कर से छट ।

45. विवरणियां ।

46. सेवा विषयक स्कीमों और विनियमों को भूतलक्षी रूप से बनाने की शक्ति ।

47. अधिनियम का ग्रध्यारोही प्रभाव।

48 विनियम बनाने की शक्ति।

49. कटिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

50 रकीमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

ग्रनुसूची

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संस्यांक 37)

[15 सितंबर, 1987]

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व को संस्था घोषित ग्रौर उसके करने के लिए निगमन 45T तथा निगमित निकाय द्वारा सारे देश में म्रोर ग्रधिक प्रभावी रूप से प्रशासित करने और उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के पालन के लिए उपबंध करने की दुष्टि से भारतीय डेरी निगम के उपकर्मों के उस निगमित निकाय में निहित किए जाने का तथा उससे संबंधित उसके ्र ग्रौर म्रानुषंगिक विषयों का . उपबंध करने के लिए ग्राधिनियम

नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, ग्रामीण जनता के ग्रायिक विकास के लिए सहकारी योजना को, जो आनद (गुजरात) में विकसित की गई योजना है, ग्रंगीकार करके देश की सेवा कर रहा है और सहकारी प्रयास के माध्यम से जन जीवन की गुणता सुधारने में एक महत्वपूर्ण भमिका निभा रहा है ; झौर नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के उद्दश्य ऐसे हैं कि उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बनाया जाए श्रौर उसे एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाए ;

ग्रीर इंडियन डेरी कारपोरेशन के, जो कंपनी ग्रधिनियम, 1956 (1956 का 1) के ग्रधीन बनाई गई ग्रीर रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, कृत्य ग्रीर नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के कृत्य एक दूसरे के पूरक हैं ग्रीर उनका लक्ष्य एक समान उद्देश्य प्राप्त करना है ;

ग्रीर यह ग्रावस्थक है कि नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड को ग्रब तक उपलब्ध प्रचालन की स्वतंत्रता ग्रीर सुनम्यता उसे उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि वह ग्रपने कृत्यों का ग्रधिक प्रभावी रूप से पालन करने में समर्थ हो सके ग्रीर राष्ट्र की सेवा करने में एक व्यापक ग्रीर वर्धमान महत्वपूण भूमिका निभा सके ;

म्रोर इंडियन डेरी कारपोरेशन के उपकमों को नेशनल डेरी डेक्लपमेंट बोर्ड में निहित करना और नेशनल डेरी कारपोरेशन को उक्त निगमित निकाय द्वारा म्रोर ग्रधिक प्रभावी रूप से प्रशासित करने और उसके द्वारा किए जाने वाले इत्यों के पालन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से विघटित करना भावस्यक समझा गया है ;

भारत गगराज्य के ग्रड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह ग्रधिनियमित हो :---

#### मध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम झौर शारंभ--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डेरी विकासः बोर्ड::बधिनियम, :1987 है।

ः (2) यहः उसः तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत में ब्रधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में घोषणा—गुजरात राज्य के ज्ञानंद में स्थित राष्ट्रीय डेरी चिकास बोर्ड के उद्देश्य ऐसे हैं कि उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था चलाया जाए, ग्रात: यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है।

3. परिभाषाएं---इस ब्रधिनियम में, जब हैतक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो,---

(क) "नियत दिन" से इस ग्रमिनियम के प्रारंभ की तारीख [ग्रमिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (नेजनल डेरी डेवलपमें बोर्ड) का निदेशक बोर्ड मभिप्रेत है ;

(ग) "प्रध्यक्ष" से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्डका प्रध्यक्ष प्रक्रियेत है;

्र (त्र) "कंपनी ग्राधनियम" से कंपनी अग्निम्यम, 1956 (1956) का भी

(ङ) "निदेशक" से राष्ट्रीय डेरी बोर्ड का तिदेशक अभिप्रेत हैं) भौर इसके प्रतगंत प्राध्यक्ष भी है ; ्र (च) "सिदाय-पदार्थ" से ऐसे खाख-पदाएं म्रभिनेत हैं जो भाषम्यक वस्तु मधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खंड (क) जे में खंसचिष्ट-धावायक वस्तुमों की परिस्कार्थन में खम्मिलित किए गए हैं ;

(छ) "भारतीय डेरी निगम" से अपश्चित्रेत है, इंडिय्स डेरी कारपोरेशन जो कंपनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीइत कंपनी है, और अजिसका अजिस्ट्रीइत कार्यालय जापरात राज्य में अझीदा में स्थिति है ;

(ज) "दुग्ध उत्पाद" से निम्नलिखित झमिप्रेत हैं :---

(i) निर्जीवाणुत, मानकीकृत, पुनः संयोजित, रवमय, दुहरा अवंबमय, मखनिया, असुरुष्त्रित योज्याम्लित द्वाया ;

(ii) बाइसकीम ;

(iii) 新म ;

(iv) पनीर ;

(v) अक्छन ;

(vi) दुग्ध चूणं ;

(vii) इया सहित दूध-छुड़ाई खाख और शिम् दुग्ध आहार ;

(viii) कोको चूर्ण, सहित या प्रहित आत्य विश्वित दुष्य आहार ;

(ix)∵¶î;

(x) निर्जल दुग्ध वसा ग्रीर मक्श्रन तेल ;

(xi) केसीन ;

(xii) कोई मन्य उत्पाद, जिसमें , दुग्ध या , रूपर विनिर्दिष्ट असमी दुग्ध उत्पाद या उनमें से कोई दुग्ध उत्पाद मंतर्विष्ट है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्न में "प्रधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

ार्थ्य(त) : "राष्ट्रीय हो री जिंकास स्वोर्ड," से वारा 4 के लख्यीन लिगमित ा दाष्ट्रीय उरेरी: विकास वोर्ड ल्लामिप्रेत है ;

ः (ङा) : "बिहित" से इस अधिनियमः के अधीनः वनाएगए विनिथमों द्वारा विहित अभिन्नेत है ;

(ट) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के संपठनात्मक बोर इत्ययील स्थापत के संबंध में "पुनस रचना करना तथा सरल ग्रीर कारगर बनाना" के संवर्गत निम्नलिखित हैं:----

(1) इकाइयों या कार्यालयों को खोला जाना या बंद किया जाना;

ः (ii) संगठनात्मक त्रीर खुत्धत्रीस स्वापतः का शुप्तरीक्षण;

(iii) अपेक्षित कर्मजारिवृद्ध की बोवणा ;

(iv) पर्वो का एकीकरण, ज्येष्ठता श्रीर वेतनुमानों का नियत े किया जाना ;

(v) पुनरीक्षितः स्थापन में जिपेक्षित कार्मिकों का एकीकरण और उस निमित्त नियुक्ति आदेशों का जारी किया ज्याना ;

ाः (vi) त्यदों से प्रापुर्वीयक मर्बमों भीर उसराहाद्रित्वों की घोषणा आगोत्तिका देखीयांकन ; (vii) एक दूसरे के समतुल्य पदों की घोषणा, मौर

(viii) कोई मन्य विषय जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की संगठनात्मक या कार्यकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए माबस्यक था उससे मानूषणिक हो ;

(ठ) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत और नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप से बृत्य कर रही एक सोसाइटी है;

(ड) उन शब्दों ग्रौर पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं ग्रौर परिभाषित नहीं हैं किंतु कंपनी श्रधिनियम में परिभाषित हैं वही ग्रर्थ हैं जो उस ग्रधिनियम में हैं ।

#### मध्याय 2

# राष्ट्रीय डेरीं विकास बोर्ड

4. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निगमन--(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का उसी नाभ से एक निगमित निकाय के रूप में गठन किया जाता है ग्रौर ऐसे निगमित निकाय के रूप में उसका शाख्वत उत्तराधिकार ग्रौर एक सामान्य मुदा होगी, जिसे इस प्राधनियम के उपबंधों के प्रधीन रहते हुए, संपत्ति का ग्रजन धारण ग्रौर व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी ग्रौर उस नाम से वह वाद लाएगा ग्रौर उस परवाद लाया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुजरात राज्य के ग्रानंद में स्थित होगा ।

(3) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, भारत में या भारत से बाहर किसी ऐसे स्थान पर जो वह ब्रावश्यक समझे, इकाइयां, कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।

5. भारतीय डेरी निगम के उपकर्मों का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित होना और भारतीय डेरी निगम का विघटन—(1) नियत दिन से ही, इस अधिनियम के ग्रन्य उपबंधों के ग्रधीन रहते हुए, भारतीय डेरी निगम के सभी उपक्रम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

(2) कंपनी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय डेरी निगम, नियत दिन से ही, इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर विघटित हो बाएगा ।

6. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निगमन का प्रभाव--नियत दिन से ही,---

(क) सोसाइटी ग्रौर भारतीय डेरी निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् विघटित कंपनी कहा गया है) की सभी स्थावर तथा जंगम संपत्तियां ग्रौर भास्तियां, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित हो जाएंगी ;

(ख) सोसाइटी और भारतीय डेरी निगम के सभी अधिकार, ऋण, दायित्व, हिंत, विशेषाधिकार ग्रौर बाध्यताएं राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अंवरित हो जाएंगी ग्रौर उसके अधिकार, दायित्व, हिंत, विशेषाधिकार ग्रौर बाध्यताएं हो जाएंगी ;

(ग) खंड (ख) के उपबंघों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी या विघटित कंपनी के प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में उसके द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, दायित्व ग्रीर बाव्यताएं, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;

(घ) सोसाइटी और विघटित कंपनी को नियत दिन के ठीक पूर्व देय सभी धनराशिया, बोर्ड को देय समझी जाएंगी ;

(ङ) सोसाइटी ग्रौर विघटित कंपनी की प्रत्येक समनुषंगी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की समनुषंगी हो जाएगी ;

(च) ऐसे प्रत्येक संगठन का, जिसका प्रबंध नियत दिन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, सोसाइटी या विघटित कंपनी द्वारा किया जा रहा था, प्रबंध, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसी परिस्थितियों से म्रपेक्षित हों;

(छ) ऐसा प्रत्येक संगठन, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, सोसाइटी या विघटित कंपनी से वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहा था, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से, यथास्थिति, वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से प्राप्त करता रहेगा जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ठीक समझे ;

(ज) वह रकम, जो विषटित कंपनी की पूंजी स्वरूप है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की निधि का भाग हो जाएगी ;

(झ) इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी या विघटित कंपनी के प्रति किसी निर्देश को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

7. विधिक कार्यवाहियों को व्यावृत्ति --- यदि, नियत दिन को सोसाइटी या विघटित कंपनी द्वारा या उसके विश्वद कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो, यथास्थिति, घारा 4 के अधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निगमन या घारा 5 के अधीन भारतीय डेरी निगम के विघटन के कारण, उसका उपश्मन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किंतु कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य कार्यवाहियां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक चालू रखी जा सकेंगी, चलाई जा सकेंगी और प्रवतित की जा सकेंगी जिस प्रकार वे, यथास्थिति, सोसाइटी या विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध तब चालू रखी जा यातीं जा सकतीं, चलाई जातीं या जा सकतीं और प्रवतित की जातीं या जा सकतीं यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता।

#### मध्याय 3

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रबंध

8. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रबंध झौर उसके निवेशक बोर्ड की संरचना---(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकलाप ग्रौर कारबार का साधारण म्रधीक्षण, निदेशन,नियंत्रण ग्रौर प्रबंध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग ग्रौर ऐसे सब कार्य ग्रौर बातें करेगा जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या की जा सकती है।

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, ग्रर्थातु:---

(क) एक मध्यक्ष;

5

(ख) : केंद्रीव सरकार 'के पदधारियों: में 'से एक 'निदेशक ?;

(ग) राज्य सहकारी डेरी परिसंघों के प्राप्यकों में से दो निदेशक ;

(घ) राष्ट्रीय हेरी विकास बोर्ड के उच्चतम श्रेणी के कार्यपालकों में से तीन से अनधिक पूर्णकालिक निर्देशक ;

(ङ) एक विदेशक, जोः राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से वाहर का कोई विश्ववेज्ञ हो ।

(3) उपघारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रध्यक्ष और निदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और उपघारा (2) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड) में निर्दिष्ट निदेशकों को केंद्रीय सरकार द्वारा भ्रष्ट्यक्ष से परामर्श के पश्चात् नामनिर्देशित किया जाएगा:

परंतु उपधाराः (2) के खंडा (ङ) में निर्दिष्ट मध्यक्ष ग्रौरः निदेशकः, एक या ग्राधिकः विक्रिष्ट विषयः, प्रयौत् इरों उद्योगः पशुपालनः, ग्रामीणे मर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, कारवार प्रकासन या बैंकिंग में वृत्तिकः रूप से ग्रहित व्यक्ति होंगे।

(4) बोर्ड प्रपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति से, ऐसी शतों पर ग्रीर ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह ठीक समझे, सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह वह इस प्रधिनियम के किसी उपबंध का मनुपालन करने के लिए लेना चाहता है ग्रीर इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को उन प्रयोजनों से, जिनके लिए उसे सहयोजित किया जाता है, सुसंगत बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का ग्राधिकार होगा किंतु उसे मत देने का ग्राधिकार नहीं होगा ।

9. झण्यक और निरेतकी का कार्यकाल और सेवा की सित. आदि--(1) झध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का मुख्य कार्यपालक होता और ऐसी भवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार झवधारित करे और इस प्रकार नाम-निर्देशित कोई व्यक्ति पुनःनामनिर्देशित किए जाने का पात होगा।

(2) उपघारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को, उस उपघारा के ग्रधीन अवधारित अवधि के भवसान के पूर्व किसी भी समय उसे लिखित रूप में तीन मास से भन्यून की सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का बेतन और मतो देकर, अध्यक्ष की संचना देकर या उसके बदले में तीन मास का बेतन और मतो देकर, अध्यक्ष की संचना समाप्त कर देने का मधि-कार होगा और अध्यक्ष को भी, उस उपघारा के आधीम विनिद्धि अवधि के भवसान के यव किसी भी समय केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में तीन मास से भग्यन की सचना देकर अपना पद छोड़ने का प्रधिकार होगा।

(3) प्रध्यक्षः ऐसा वेतन और अत्ते प्राप्त करेता जो केंद्रीय सरकार अवधा-रित करे 1

(4) जहां पाष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी कार्यपालक को, धारा 8 के स्रधीन} उसके पूर्णकालिक निदेशका के रूप में नामनिर्देशित किया गया है वहां ऐसा नामनिद्यान पाष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यपालक के रूप में उसकी निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा झौर निदेशक न रह जाने पर वह ऐसे कार्यपालक के रूप में बना रह सकेगा?

(5) घारा 8 की उपघारा (2) के खंड (ग) के प्रधीन नामनिर्देशित निदेशक, एक बार में, एक वर्ष से अनधिक ऐसी अनधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार प्रविधारित करे; पेद 'धारण करेंगे, भौर धारा 8 की उपघारा (2) के खंड (ब) भौर खंड (ड) के प्रधीन नामनिर्देशित निर्देशक ऐसी अनधि के लिए जो 'केंद्रीय' सरकार 'धनधारित' करे, 'पद धारण' करेंगे।

(6) ग्राध्यक्ष से भिन्न, प्रत्येक निर्देशक केंद्रीय सरकार के प्रसादप्यत पद-धारण वरेगा। (7) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (ड) में निदिष्ट निदेशकों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार भवधारित करे।

10. बोर्ड को बैठकें--(1) बोर्ड, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रधान कार्यालय, या उसके किसी ग्रन्य कार्यालय में, ऐसे समयों पर जो ग्रध्यक्ष निदेश दे, बैठक करेगा ग्रीर ग्रपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबतः (जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का ग्रनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(2) ग्रध्यक्ष, या यदि वह बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में ग्रसमर्थ हैं तो उसके ढारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई ग्रन्थ निर्देशक, ग्रीर ऐसे नाम-निवंशन के ग्रभाव में या जहां ग्रध्यक्ष नहीं है वहां उपस्थित निर्देशकों ढारा भपने म से चुना गया कोई निर्देशक, बैठक की ग्रध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक में उठते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दला में, क्रध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का क्रमिकार होगा।

(4) उपधारा (3) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, बोर्ड के प्रत्येक विदेशक का एक मत होगा।

11. बोर्ड के कारवार के संध्यवहार को रीति--(1) बोर्ड, इस ग्रधिनियम के उपबंधों के श्रधीन रहते हुए, श्रपने कृत्यों के निर्वहन में, लोक हित का सम्यक् ध्यान रखते हुए, ठोस कारवारी सिद्धांतों पर कार्य करेगा।

(2) जैसा अन्यया विहित है उसके सिवाय, अध्यक्ष को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण झौर प्रबंध करने की शक्ति होगी और वह ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और वे सब कार्य और बातें कर सकेगा जिनका प्रयोग, या जिन्हें बोर्ड कर सकता है।

(3) जब अध्यक्ष बाहर होने के कारण या अन्यथा अपने स्यों का निर्वहन करने में प्रसमर्थ हो, तो वह किसी भी पूर्णकालिक निदेशव को किसी अस्थायी अवधि के लिए अपने सभी या किन्हीं दृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिवृत कर सकेगा।

(4) ग्राध्यक्ष और उपधारा (3) में यथानिदिष्ट प्राधिवृत पूर्णकालिक निदे-सम्म की किसी भी कारण से अनुपस्थिति की दशा में, ग्राध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निदिष्ट पूर्णकालिक निर्देशकों में से ज्येष्ठतम निदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

12. प्रबंध समितियां--(1) बोर्ड, ग्रपने इत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में सहायता देने के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर, उतनी प्रबंध समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे।

(2) प्रबंध समिति में उसके सदस्यों के रूप में उतने व्यक्ति (निदेशक के रूप में या ग्रन्थथा) होंगे जितने बोर्ड ग्रवधारित करे किंतु गर्त यह है कि ऐसी प्रस्थेक समिति में या तो अध्यक्ष था एक पूर्णकालिक निदेशक उसका एक सदस्य होगा।

(3) प्रत्येक प्रबंध समिति, बोर्ड के साधारण नियंत्रण, निदेशन झौर अधी-क्षण के अधीन, और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से, हत्य करेगी जो बोर्ड मिदेश दे।

(4) प्रबंध समितियों की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त, यथाशवयशोध, बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। 13. प्रबंध समितियों के सबस्यों के मले, झाबि—(1) मध्यक्ष और पूर्ण-कालिक निदेशकों से भिन्न, किसी प्रबंध समिति के सदस्यों को, प्रबंध समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी मन्य काय को करने के लिए ऐसे भत्तों का, यदि कोई हों, संदाय किया जा सकेगा जो विहित किए जाएं।

(2) प्रबंध समितियों की कार्यवाहियों के संचालन से संबधित झन्य सभी विषय वे होंगे जो अवधारित किए जाएं।

14. प्रबंध समितियों, आदि को शक्तियों का प्रत्यायोजन-(1) बोर्ड, इस अधि-नियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और इत्यों को, जिन्हें वह उसके इत्यों के दक्षता-पूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है, किसी प्रबंध समिति को या उसके किसी सदस्य को या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और सीमाओं के, यदि कोई हैं, अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा विनिदिष्ट की जाएं।

(2) बोर्ड, यदि वह लोक हित में ऐसा करना ग्रावश्यक समझता है तो, ग्रापनी किन्हीं शक्तियों ग्रीर कृत्यों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर के किसी सहकारी परिसंघ को, या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के स्वामित्व, प्रबंध, नियंत्रण के ग्राधीन, या उससे सहायताप्राप्त किसी संगठन को, ऐसी शर्तों ग्रीर सीमाग्रों के, यदि कोई हैं, ग्राधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा जो उसके द्वारा विनिदिष्ट की जाएं।

15. पूर्णकालिक निदेशकों, झादि को शवितयों का प्रत्यायोजन—वोर्ड, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा के समापन, उसके निलंबन और हटाए जाने की शक्ति समय-सयम पर आदेश द्वारा, ऐसी साधारण और विशेष शतों के झधीन रहते हुए, जिन्हें वह झधिरोपित करना ठीक समझे, निम्नवत् प्रत्यायोजित कर सकेगा, अर्थात् :---

(क) ऐसी उच्चतर श्रेणी में, जो विहित की जाएं, ब्रान पाने वाले की दशा में. पूर्णकालिक निदेशक को; और

(ख) खंड (क) के अधीन विहित उच्चतर श्रेणी से भिन्न किसी श्रेणी में वेतन पाने वाले की दशा में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के ऐसे अधि-कारी को, जिसे वह ठीक समझे :

परंतु खंड (ख) के ग्रंतर्गत ग्राने वाले कर्मचारियों की दशा में, ग्रध्यक्ष; यदि वह ऐसा करना ग्रावश्यक या समीचीन समझता है तो, इस धारा के प्रवीन बोर्ड के कृत्यों का पालन कर सकेगा ।

#### घट्याय 4

# राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की शक्तियां ग्रौर उसके इत्य

16. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की शक्तियां झौर उसके हत्य---(1) इस ग्रधिनियम के उपजंधों के ग्रधीन रहते हुए,---

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का गहन और राष्ट्रव्यापी ग्राधार पर डेरी ग्रौर अन्य कृषि पर ग्राधारित तथा सहबद्ध उद्योगों ग्रौर जैविकों के विकास के प्रयोजनों के लिए योजना का संदर्तन करना तथा कार्यक्रमों का ग्रायोजन करना ग्रौर ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता देना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कर्तव्य ग्रौर कृत्य होगा; (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का गहन ग्रौर राष्ट्रव्यापी स्तर पर अधिक प्रभावी रीति से सहकारी नीति श्रंगीइत करना ग्रौर पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे उपाय करना जो ज्ञावध्यक हों, उत्तरदायित्व होगा ; और

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड उक्त प्रयोजनों को तिथान्वित करने के लिए ग्रौर इस ग्रधनियम के ग्रधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग ग्रौर अपने इत्यों ग्रौर उत्तरदायित्वों के पालन के लिए ऐसे ग्रध्युपाय कर सकेगा जिन्हें वह ग्रावश्यक समझे ।

(2) विशिष्टतया, ग्रौर पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट श्रध्युपायों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—–

(क) डेरी, प्रतिरक्षा-विज्ञान, पशुपालन, इति ग्राँर बागवानी के क्षेत्रों में ग्रनुसंधान ग्रीर संप्रवर्तन संबंधी कियाकलापों को सुकर बनाना ;

(ख) सहकारी या पब्लिक सेक्टर के ऐसे संगठनों को, जो दुग्ध ग्रीर दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, उपापन, परिरक्षण या विषणन में लगे हुए हैं, प्रीद्योगिकी व्यवहार-ज्ञान प्रदान करना ;

(ग) उस तकनीकी व्यवहार-ज्ञान को, जो कार्मिक को प्रदान कराया जाए, ग्रात्मसात् और उपयोग करने के लिए कार्मिक का प्रशिक्षण सुकर बनाना;

(भ) डेरी ल्ह्योगों की परिकल्पना करना, योजना बनाना, उसका संप्रवर्तन करना, विकास करना, निर्माण करना, उसे प्रायोजित झोर स्थापित करना झोर कोई ग्रन्थ संबंधित संप्रवर्तन संबंधी त्रियाकलाप चलाना, जिसके ग्रंतगत उसका वित्तपोषण भी है;

े (ङ) परामर्शी श्रौर प्रबंधकीय सेवाएं उपलब्ध करोना, और दायित्वपूर्ण श्राधार पर या अन्यथा किसी परियोजना का निष्णादन करना, दुग्ध सौर दुग्ध उत्पादों के भंडारकरण, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण जैसी अनिवार्य सेवाएं देना तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के संबंध में प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करना ;

(च) निम्त्रलिखित के लिए ऐसे ग्रध्युपाय ग्रंगीकृत करना जो व्यवहार्य हों----

(i) सभी प्रक्रमों पर या ग्रन्थया, अपशिष्ट का परिवर्जन करके दुग्ध ग्रीर दुग्ध उत्पादों का संरक्षण ;

(ii) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के प्रायमिक उत्पादकों और सह-कारी तथा पब्लिक सेक्टर के व्यक्तियों को प्रोत्साहन कीमत प्राप्त करने में सहायता; और

(iii) एक राष्ट्रीय दुग्धग्रिड की रचना;

(छ) जब भी मावश्यक हो, दुग्ध के ऋय या विकय के लिए नियत की जाने वाली अधिकतम और न्यूनतम कीमत के बारे में सरकार को सिफारिश करना मौर यदि ऐसी म्रनेक्षा हो तो इसके प्रवर्तन में सहायता करना;

(ज) दुग्ध झौर दुग्ध उत्पादों के झौर दुघारू पशुझों या सांडों के झायांत झौर निर्यात की बाबत एक प्रणाली झभिकरण के रूप में ऋत्य करना;

(ज्ञ) निम्नलिखित के लिए वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय या अन्य सहायता उपलब्ध कराना या ऐसे झध्युपाय करना जो झावश्यक हो—

(म) मधिक दुग्ध देने वाले पशुओं का विकास (यदि अपेक्षित हो तो व्यालिटी बीय का प्रायात करके) मौर परिरक्षण ; (ग्रा) पशु प्रजनन की उन्नत पद्धतियों का अंगीकरण ;

(द) केहतर और उन्तत पशु दाना के, जिसके अंतर्गत बारा जी है, उत्पादन और प्रदाय की वदि ; और

(ई) साधारणतया देश के पश्चम को स्काना ;

(भा) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में, ऐसी रीति से जो बोर्ड ठीक समझे, छपलब्ध संस्याओं का उपयोग करके या अन्यया, प्रीद्योगिकी, ग्रीद्योगिक या ग्रायिक अनुसंधान, प्रसंस्करण, संवर्धन या वित्तपोषण का करना ;

(ट) सहकारी परिसंघों, सहकारी संघों या सहकारी उचमों को मयवा सहकारी या पब्लिक सेक्टर में की किसी ऐसी स्कीम को, जिसका साझाय दुग्ध ग्रीर दुग्ध उत्पादों के राष्ट्रव्यापी माधार पर उत्पादन, परिरक्षण, वितरण ग्रीर उपभोग को बढ़ावा देना है, ऐसी रीति से जो बोर्ड समुचित समझे, वित्तपोषण करना (जिसके ग्रंतर्गत पंजी का ग्रभिदाय भी है);

(ठ) डेरी ग्रौर सहबद्ध उद्योगों का विनियमन करना ग्रीर उनके लिए, जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, विनियासक प्राधिकरण के रूप में कृत्य करना ;

(ड) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में लगे संगठनों के विकास और समन्वय के लिए आध्युयाय ग्रंगीकृत करना ताकि उनके प्रार्थीयक उत्पादकों को डेरी ग्रीर सहबद उद्योगों के विकास ग्रीर वृदि में भागीदार होने ग्रीर उनका हिताधिकारी बनने के लिए समर्थ किया जा सके ;

(ढ) राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, और राष्ट्रीय दुधारू पशु के और डेरी तथा सहबद्ध उद्योगों से संबंधित किसी अन्य विषय के दक्षतापूर्ण प्रबंध के लिए ग्रावश्यक सुसंगत ग्रांकड़े और सांख्यिकी संगुहीत करना और उसका संकलम करना ;

(ण) डेरी भ्रौर सहबद उद्योगों के ग्रनुसंधान भ्रौर विकास के प्रचार का संवर्धन करना ;

(त) देश के विभिन्न भागों में दुग्ध ग्रौर दुग्ध उत्पादों का संवर्धन करना ग्रौर उनके उत्पादन, श्रेणीकरण श्रीर विपलन का विकास करना ;

(थ) श्रंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों और किन्हीं अन्य खाद्य पदार्थों के किसी दान को प्राप्त करने, उसका उपयोग और वितरण करने के लिए केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कृत्य करना ;

(द) ग्राधारी वस्तुयों के बफर स्टाक का एक झारक्षिति तैयार करना ;

(ध) जहां, बोर्ड की राय में, अपशिष्ट से बचने के लिए या अन्यथा लोकहित में ऐसा वहा अपेक्षित है, और करने के लिए साधारणतया उसके ढारा उत्पादित, प्रसंस्कृत या प्रोन्नत किसी चीज के निर्यात के लिए द्रुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाना ;

(न) ग्रपने कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति का आर्जन, धारण और व्ययन करना ;

(प) राष्ट्रीय डेरी विकास वोर्ड से सहायता प्राप्त करने वाले मंगठनों के संबंध में उनके संपूर्ण प्रबंधकीय, तकनीकी या ग्रम्य कुल्सों या उनके किसी भाग का प्राप्तिकर्ता संगठन की ग्रंतरण करना ;

(फ) जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिभूति पर था क्रम्मथा रनन उधार देना या ऋण पर देना ;

(न) ऐसी रीसि से और ऐसी अतिभूति भार की आर्ट टीक समझे, रक्त जेवार तेना ; (भ) किसी ऐसी देशा में स्वयं या किन्हीं प्रत्य संगटतों के साध्यम से, किसी प्रन्य कारवार या कारवार के वर्ग को चलाना, जिसमें ऐसा कारवार था कारवार का वर्ग नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी या विघटित कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था;

(म) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के मध्य सहकारी प्रयास का संवर्धन करना और आरेसाहन देना ;

(य) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई किसी सहायता या की गई सेवाश्रों के लिए फीस या श्रम्य प्रभार उदगृहीत करना ;

(यक) कोई अन्य कारवार चलाना या कोई क्रम्य कार्य या वास करना जो इस अधिनियम के क्रधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के उन्हेब्दों को अक्रसर करने के लिए ग्रावस्थक, आमुधंगिक या साधक हों ।

(3) यदि, नियत दिन के ठीक पूर्व, सोसाइटी या विघटित कंपनी, दुग्ध प्रोर दुग्ध उत्पादों या डेरी उद्योग से भिफ, किसी वस्तु या उत्पाद के संबंध में, उत्पादन, प्रनुसंधान ग्रीर विकास, प्रसंस्करण, विपणन, आयात, निर्यात या अन्य कियाकलाप में लगी हुई यी या कोई सेवा कर रही या सहायता दे रही थी, तो, इस ग्रधिनियम या किसी ग्रन्थ विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, उक्त वस्तु या उत्पाद के संबंध में, उत्पादन, अनुसंधान ग्रीर विकास, प्रसंस्करण, विपणन, ग्रायात, निर्यात या ग्रन्थ कियाकलापों में लगा दह सकेगा, या ऐसी ग्रन्थ मेवाएं कर सकेगा या सहायता दे सकेगा जो ग्रमेक्षित हों, जीर उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध, जहां तक ही सके, उस वस्तु या उत्पाद के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो उसमें दुग्ध ग्रीर दुग्ध उत्पादों या डेरी ग्रोर सहबद उद्योगों के प्रति कोई निर्देश उस वस्तु या उत्पाद या सेवा या कियाकलाप के प्रति निर्देश है।

(4) जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार यह समझती है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की विशेष विशेष की ता और जनता की मावस्थकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह ग्रावस्थक या उचित है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को उस कियाकलाप से जिसको पूर्वगामी उपधाराए लागू होती हैं, भिन्न कोई कियाकलाप सौंपा जाना चाहिए, वहां वह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ऐसा कियाकलाप सौंप सकेगी मौर तब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ऐसे कियाकलाप करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) पूर्वगामी शनितयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व ग्रनुमोदन से, किसी आग्य संगठन में, वित्तीय रूप से, प्रबंधकीय रूप से या किसी अन्य रोति से, साझेदार होने के लिए सक्षम होगा ।

#### मध्याय 5

#### राष्टीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशकों श्रौर कर्मचारियों से

es p

\*

7 . .

#### संबंधित उपबंध

17. सौसाइटी के बोर्ड के सदस्यों और विघटित कंपनी के मिदेशकों के संबंध में उपबंध---नियत दिन के ठीक पूर्व, सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य या बिघटित मांपनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला अत्येक व्यक्ति, उस बिन से ही ऐसे सदस्य या निदेशक के रूप में पद घारण नहीं करेगा ।

18. सोसाइटी प्रोर विघटित कंपनी के श्रधिकारियों घोर ग्रम्य कर्मवारियों से संबंधित अपवंध-धारा 19 के उपबंधों के श्रधीन रहते हुए, सोसाइटी या विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक पूर्ण-कालिक श्रधिकारी या प्रन्य कर्मचारी, नियत दिन से ही, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का, यथास्थिति, प्रधिकारी या प्रत्य कर्मचारी हो जाएगा घोर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कार्ड में सेवा के उन्हीं निवंधनों घोर गतीं पर पद धारण या सेवा करता दहिगा, जिन पर बह, यथास्थिति, सोसाइटी या विघटित कंपनी के प्रधीन रहा होता, श्रौर ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक बोर्ड द्वारा सेवा के उसके निबंधनों श्रौर शतों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है ।

19 बोर्ड की राष्ट्रीय डेरी दिकास बोर्ड के संगठनात्मक और इत्यशीक्ष स्थापन को कार्यकरण में ग्रधिकतम दक्षता सुनिध्चित करने के लिए युनर्सरचना करने तथा सरल और कारगर बनाने की शकित--(1) इस ग्रव्याय में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ऐसे ग्रदेश या ऐसी कार्रवाई कर संकेगा जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के संगठनात्मक और इत्यशील स्थापन की कार्यकरण में प्रधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्सरचना करने तथा सरल और कारगर बनाने के लिए ग्रावश्यक हो, और बोर्ड, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी ग्रधिकारी या अन्य कर्मचारी या ग्रधिकारियों या म्रन्य कर्मचारियों के किसी वर्ग को ग्रनावश्यक घोषित करने के लिए सक्षम होगा, यदि वह एक ही प्रकृति के दोहरे पदों या पुनरीक्षित स्थापन में पद के लिए ग्रपेक्षित विशेष विशेषज्ञता के न होने या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी विशिष्ट कार्यालय या एकक में पदों की ग्रनुपलब्धता के कारण ग्राधिशिष्ट होने के कारण या प्रन्यथा उन्हें ग्रनावश्यक पाता है और यह साध्य नहीं है कि उसे विशिष्ट क्षेणी में उस प्रकार के पद पर रखा जाए।

(2) यदि बोर्ड इस प्रकार उसे मंतरित अधिकारियों और भ्रन्थ कर्म-चारियों की सेवाशतों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयोजन के लि? भ्रावश्यक समझता है तो उसे इस अध्याय की कोई बात उनके पदनाम, उनको लागू सेवा की शतों या वेतनमान में परिवर्तन करने या उनके कर्तव्यों ग्रीर इत्यों को पुनः ग्राबटित करने से निवारित नहीं करेगी।

20. अनावश्यक कर्मचारियों, ग्रादि को प्रतिकर के संबंध में स्कीमें—(1) धारा 19 के अनुसरण में अनावश्यक घोषित किए गए अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी स्कीम या स्कीमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, जो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस निमित्त बनाए और अधिकारियों धौर अन्य कर्मचारियों के विभिन्न दगों या प्रदर्गों के संबंध में विभिन्न स्कीमें बनाई जा सकेंगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम या स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, प्रयति :----

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रधिकारी ग्रीर कर्मचारी को संदेय प्रतिकर की माता श्रीर उसके संदाय का ढंग:

परंतु इस प्रकार संदेव प्रतिकर किसी भी दशा में उससे कम नहीं होगा जो उसे लागू सेवा शर्तों के ग्रधीन संदेव होता यदि उसे सेवा से अभिमुक्त कर दिया जाता ;

(ख) वेतन या अन्य परिलब्धियों, भविष्य निधि, उपदान या किसी अन्य रक्म की बकाया की माता, जो उनको ल गू सेवा गतों के अनुसार संदेय हों;

(ग) व्यथित अनावश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए अरील और अपोल प्राधिकारी के लिए, जो भारत सरकार के इत्षि से संबंधित मंत्रालय में संयुक्त सचिव को पंक्ति से नोचे का अधिकारी नहीं होगा, उपबंध;

(घ) उनके अनावस्थक घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप सेवा की समाप्ति से संबंधित कोई ग्रन्थ विषय ।

नहीं होगा ग्रौर ऐसा कोई दावा किसी न्याय।लय, ग्रधिकरण या श्रन्थ प्राधि-करण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

22. मविष्य निधि, उपदान, कत्याण ग्रौर ग्रन्थ निधियां—(1) जहां सोसाइटी या विघटित कंपनी द्वारा अधिकारियों था ग्रन्थ कर्मचारियों के फायदे के लिए, उनमें से किसी की बाबत भविष्य निधि स्थापित की गई है ग्रौर वह किसी न्यास में निहित है, वहां प्रत्येक भविष्य निधि के खाते में बकाया घन गौर ग्रन्थ ग्रास्तियां, उन्हीं उद्देश्यों सहित जो नियत दिन के पूर्व लागू थे, न्यास द्वारा धारित रहेंगी ग्रौर नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे न्यासों के न्यास द्वारा धारित रहेंगी ग्रौर नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे न्यासों के न्यासी, न्यास विलेखों के उपबंधों ग्रौर संबंधित न्यासों से संबंधित निवयों के ग्रासी, न्यास विलेखों के उपबंधों ग्रौर संबंधित न्यासों से संबंधित निवयों के ग्रासीन रहते हुए, संबंधित भविष्य निधि की बाबत न्यासियों के रूप में तब तक ब्रिय करते रहेंगे जब तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ग्रन्थथा निदेश नहीं दिया जाता, ग्रौर उक्त न्य;सों से संबंधित ग्रधिकार, नियत दिन से ही, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित ही जाएंगे

(2) जहां सोसाइटी या विघटित कंपनी ढारा, अपने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, कोई उपदान, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की गई थी और वह नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है, वहां ऐसे उपदान, कल्याण या अन्य निधि के खाते में या उससे संबंधित सर्मा धन और अन्य आस्तियां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित हो जाएगी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, न्यासों या निधियों के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा था ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे जिससे कि ऐसे न्यासों या निधियों में एकरूपता या भागत: या पूर्णत: एकविरण लाथा जा सके ।

(4) बोर्ड, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों था उनके कुटुंबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य हितों के अभि-वर्धन के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो विहित किए जाएं और ऐसी संस्थाओं का सुजन कर सकेगा जो उस प्रयोजन के लिए अप्रेक्षित हों।

(5) इस धारा के पूर्वगत्मी उपबंधों की कोई बात, बोर्ड द्वारा अपने अधि-कारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के लिए कोई भविष्य निधि, कल्थाण निधि, उपदान निधि या अन्य निधि के स्थापन या अनुरक्षण के लिए विनियम बनाने की शनित को न्यन नहीं करेगी।

#### सध्याय 6

# वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

23. बोर्ड की उधार लेने की शक्तियां—बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व मनु-मोदन से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको दिए गए किसी साधारण या विश्वेष प्राधिक/र के निबध्धनों के अनुसार किसी भी स्रोत से घन उधार ले सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं इत्यों के निर्वहन के लिए ठीक समझे ।

24 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुवान और उघार—केंद्रीय सरकार, संसद् की इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग के पश्चात्, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अनुदानों या उघारों के तौर पर उत्तनी धनराशियां दे सकेगी जितनी केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक संगन्ने ।

25. अनुदान, संदान, आदि---(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, सरकार से या भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य स्रोत से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त कर सकेगा और उसका उपयोग बोर्ड द्वारा इस अधिनियम (2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड किसी विदेशी सरकार या भारत के कहर के किसी ग्रन्थ स्रोत से कोई दान, ग्रनुदान, संदान या उपहृतियां केंद्रीय सरकार के पूर्व ग्रनुमोदन के बिना प्राप्त नहीं करेगा ।

26. राष्ट्रीय डेरो विकास बोर्ड निधि---(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एक निधि रखेगा जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि कहलाएगी ग्रीर उसमें निम्मलिखित जमा किया जाएगा---

(क) ग्रच्याय 2 के ग्राधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निहित सभी धनराशियां;

(ख) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी धनराशियां;

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ढारा प्राप्त सभी फीसें क्रौर बन्य प्रभार;

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दान की वस्तुओं से प्राप्त वा उसके द्वारा दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयत या प्रतरणों के तौरे पर प्राप्त सभी धनराशियां, ग्रीर

(ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किसी ग्रन्थ रीति से या किसी ग्रन्थ स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) उक्त निधि में जमा की गई सभी धनराशियां, इस निमित्त बनाए गए विनियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, भारतीय स्टेट बैंक या किसी ग्रन्थ राष्ट्रीयवृत बैंक के पास निक्षिप्त कर टी जाएंगी ।

स्पाइटीकरण--इस उपधारा में "राष्ट्रीयहत बक" से बैंककारी कंपनी (उपकर्मो का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) में यथा परिभाषित तत्स्थानी नया बैंक अभिन्नेत है।

(3) उक्त निधि का राष्ट्रीय डेरी विकास बार्ड के प्रशासनिक झौर यन्य व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोजन किया जाएगा, जिसके ग्रंतगंत धारा 16 के ग्रधीन शक्तियों के प्रयोग झौर उसके छत्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन या उसमें निर्दिष्ट किसी कियाकलाप की बाबत या उससे संबद्ध किसी बात के लिए उपगत व्यय भी हैं।

27. लेखा म्रोर तुलनपत तैयार करना—(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का तुलनपतः और लेखा ऐसे प्ररूप में झौर ऐसी रीति से तैयार किए जाएंगे जों विहित की जाए।

(2) बोर्ड, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की बहियों क्रांर लेखाओं को, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या ऐसी ग्रन्थ तारीख को, जो बोर्ड केंद्रीय सरकार की सहमति से विनिश्चित करे, बंद ग्रांर संतुलित करवाएगा ।

28 लेखापरीक्षा-(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लेखाओं की कंपनी धधिनियस के प्रधीन कंपनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से ग्राहित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी, ग्रीर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति ग्रीर उनको संदेय पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार के प्रनुमोदन के ग्रधीन होंगे ।

(2) प्रत्येक लेखा परीक्षक की, ग्रपने कर्तव्यो के ग्रनुपालन में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की बहियों, लेखाग्रों ग्रौर ग्रन्थ दस्तावेजों तक सभी युक्ति-युक्त समयों पर पहुंच हौगी । (3) लेखा परीक्षक भ्रपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेजेंगे और बोर्ड उनकी रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

29. रिपोर्टो का संसद् के समक्ष रखा जाना-केंद्रीय सरकार, आरा 28 के अधीन लेखा परीक्षकों की रिपीर्ट को, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्रापि, के पश्चात् यथाशीध, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

30. करार पाई गई अवधि के पूर्व प्रतिसंदाय की अपेक्षा करने की शवित किसी करार में तत्प्रतिकल किसी बात के होते हुए भी, वोर्ड, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड या सोसाइटी या विघटित कंपनी ने कोई उधार या ऋण दिया है, लिखित रूप में सूचना द्वारा, उस दशा में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत वोर्ड के प्रति अपने दायित्वों का पूर्णत निर्वहन करे,---

(क) यदि वोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उधार या ऋण के झावेदन में किसी तात्विक विशिष्टि में कोई मिथ्या या भ्रामक जानकारी दी गई थी; या

(ख) यदि व्यक्ति, उधार या ऋण विषयक अपनी सविदा के निवंधनों का अनुपालन करने में ग्रसफल हो गया है; या

(ग) यदि ऐसी युक्तियुक्त आशंका है कि व्यक्ति अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है या उसकी बाबत समापन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है; या

(घ) यदि, उधार या ऋण के लिए, प्रतिभूति के रूप में, गिरवी की गई, बंधक रखी गई, ग्राडमान की गई या समनुदिष्ट की गई संपत्ति का, बोर्ड के समाधानप्रद रूप में, बीमा नहीं हुया है या व्यवित द्वारा बीमा नहीं कराया गया है (या उसके मल्य में उस सीमा तक ग्रवक्षयण हो गया है कि बोर्ड की राय में, बोर्ड के समाधानप्रद रूप में झौर प्रति-भूति दी जानी चाहिए और ऐसी प्रतिभूति मांग के पश्चात् नहीं दी गई है); या

(ङ) यदि, सम्यक् अनुज्ञा के बिना, कोई मशीनरी, संयंत या अन्य उपस्कर (चाहे वह प्रतिभूति का भागरूप है या नहीं) को, उसके बिना बदले संबंधित परिसर से हटा दिया जाता है; या

(च) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि माल के प्रदाय या परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित उधार करार में की किसी झर्त का सारभूत रूप से म्रतिकमण किया जा रहा है; या क्र

(छ) यदि बोर्ड, किसी ग्रन्य कारण से, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के हितों की संरक्षा करने के लिए ऐसा करना **ग्र**त्वण्यक समझता है।

31. राष्ट्रीय डेरो विकास बोई द्वारा वावों के प्रवर्तन के लिए विशेष उपबंध----(1) जहां कोई व्यक्ति, किसी करार के मंग में, किसी उघार या ऋण या उसकी किसी किस्त के प्रतिसंदाय में (या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ी गई प्रत्याभूति के संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में) कोई व्यतिकम करता है या बोर्ड के साथ हुए करार के निबंधनों का अनुपालन करने में अन्यथा ग्रसफल रहता है या जहां बोर्ड किसी व्यक्ति से धारा 30 के अधीन किसी उधार या ऋण के तुरंत प्रतिसंदाय की अपेक्षा करता है और वह व्यक्ति ऐसा प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, वहां संपत्ति अंतरण ग्रधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 69 के उपबधों पर प्रतिकल प्रभाव डाले विना, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कोई ग्रधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, निम्नलिखित एक या ग्रधिक ग्रनुतोषों के लिए न्यायालय को ग्रावेदन कर सकेगा, ग्रथीत :---

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के: उद्यार या ऋण के लिए प्रति-भूति के रूप में गिरवी की गई, बंधक रखी गई, ब्राडमान की गई या समनदिष्ट की गई संपत्ति के वित्रय के ब्रादेश के लिए ; या

(ख) किसी संगठन के प्रबंध को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ग्रंत-रित करने के लिए; या

(ग) जहां संगठन के परिसर से सम्यक् अनुज्ञा के बिना मशीनरी या अन्य उपस्कर को हटाए जाने की आणंहा है वहां , व्यंतःकालीन आदेश के लिए।

(2) उपधारा (1) के ग्रधीन कोई ग्रावेदन करने और उसके निपटाने की प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

#### मध्याय 7

#### प्रकीर्ण

32. नियुक्ति में द्रुटियों से बोर्ड के कार्यों, ग्रादि का ग्रविधिमाग्य न होना---बोर्ड का या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस ब्राधार पर प्रस्नगत नहीं की जाएगी कि बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई तृटि थी।

33. सब्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण-इस ग्रधिनियम या किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी उपबंध के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, राष्ट्रीय डेनी विकास बोर्ड या बोर्ड के किसी निदेशक या किसी अधि-कारी या अन्य कर्मचारी या इस ग्रधिनियम के प्रधीन किन्हीं छत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विध्द नहीं होगी।

34. निदेशकों की क्षतिपूर्ति—प्रत्येक निदेशक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनके संबंध में उसके द्वारा उपगत सभी हानियों और व्ययों की वाबत, जो उसके जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतित्रम से न हुए हों, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

35. विस्वस्तता और गोपनीयता की बाबत बाध्यता—(1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि ढारा जैसा अन्यथा अपेक्षित है उसके सिवाय, बोर्ड, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड या सोसाइटी या विघटित कंपनी के संबंध में या उनके कार्य-कलापों के संबंध में कोई जानकारी तव के सिवाय प्रकट नहीं करेगा जव कि परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें विधि या वित्तीय संस्थाग्रों में रूढि़गत पद्धति और प्रथा के अनुसार बोर्ड के लिए ऐसी जानकारी प्रकट करना आवश्यक या समुचित हो ।

(2) किसी समिति का प्रत्येक निदेशक, सदस्य, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का लेखा परीक्षक या ग्रधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

36. इतिरिक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती---अध्याय 5 में किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के० उतने प्रतिरिक्त पदों को सुजित करने के या उतने अतिरिक्त अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने के, जितने वह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ग निर्वहन के लिए ग्रावश्यक या वॉछनीय समझे, अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, वहां सेवा के निबंधन और शतें भी, जिसके अंतर्गत पारस्परिक ज्येष्ठता भी है, बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएंगी।

38. केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन-(1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना प्रावश्यक है, तो वह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सिफारिश पर, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को डेरी, खाद्य पदार्थ यौर संबद्ध उद्योगों से संबंधित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यकलाप था त्य, विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के विकास से संबंधित विषयों के संदर्भ में, उत्पादन, उपापन, विपणन, निर्यात-ग्रायात, मानक के ग्रनुरक्षण या इसी प्रकार के किन्हीं कार्यकलापों (जिनके यंतर्गत सांख्यिकीय और सुसंगत आंकड़ों का संग्रहण और संकलन भी है) का विनियमन करके, करने ग्रीर उनका अनुपालन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए कोई स्कीम बना सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम राजपत में प्रकाशित की जाएगी और उसमें ऐसी शर्तें, निर्बंधन या परिसीमाएं हो सकेंगी जो केंद्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे।

39. लेखा परीक्षकों के लिए संकलणकालीन उपबंध--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन के ठीक पूर्व त्यकारी सोसाइटी या विघटित कंपनी के संबंध में नियुक्त किसी लेखा परीक्षक को, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों पर जो ग्रावश्यक समझे आएं, बनाए रखा जा सकेगा।

40. ग्रध्यक्ष ग्रौर बोर्ड के संबंध में संक्रमगकालीन उपबंध----सोसाइटी का ग्रध्यक्ष, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद घारण किए हुए है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का तब तक अव्यक्ष होगा जब तक इस अधिनियम के उपवंधों के अनुसार अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाता है ग्रौर वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गठन तक बोर्ड के तियों का पालन करने में सक्षम होगा।

41. ग्रन्थ संगठनों का प्रबंध या उनकी सहायता का जारी रहना---संकाग्नों को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां, नियत दिन के पूर्व, सोस इटी या विघटित कंपनी किसी ग्रन्थ संगठन का प्रवंध कर रहीं थी या किसी संगठन या व्यक्ति को कोई तंकनीकी या ग्रन्थ सहायता प्रदान कर रही थी, वहां राष्ट्रीय डेरी विकास वोर्ड उसको या वैसी ही खेवा को उस सीमा तक, ऐसी ग्रवधि के लिए और ऐसे उपांतरणों सहित देता रहेगा जो वोर्ड टीक समझे।

42. मदर डेरी का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक समनूषंगी एकक होन।--मदर डेरी, दिल्ली, के नाम से ज्ञात उपक्रम, नियत दिन से ही, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का समनुषंगी एकक बन जाएगी किंतु वह अपना पृथक् स्वरूप तब तक बनाए रखेगी जब तक बोर्ड अन्यथा विनिश्चित नहीं करता।

43. केंब्रीय सरकार के पर्व अनुभोदन से कंपनियों का बनाया जाना---(1) जहां, बोर्ड प्रपने किन्हीं उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अर्धान रहते हुए, स्वयं

· · · ·

या ग्रपनी किसी समनुषंगी या किसी अन्य उपक्रम के साथ मिल कर एक या ग्राधिक कंपनियां बना सकेगा।

(2) जहां कोई कंपनी उध्धारा (1) के अनुसरण में बनाई गई है, वहां, --

(क) स्वयं बोर्ड ढारा या अपनी समनुषंगियों के साथ बनाई गई किसी कंपनी की दशा में, वह, उतनी पूंजी का ग्रभिदाय, अपनी ऐसी ऋ स्तियों का ग्रंतरण या ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जा अपेक्षित हो, जिससे कि इस प्रकार बनाई गई कंपनी १ त्य करने में समर्थ हो सके; और

(ख) किसी श्रन्थ दशा में, वह ऐसी रीति से और उतने परिमाण तक पूंजी का भ्रभिदाय, अ स्तियों का ग्रंतरण था सहायता, उस संबंध में केंद्रीय सरकार के विनिदिल्ट पूर्व ग्रनुमोदन के श्रधीन रहते हुए, प्रदान कर सकेगा जो बोर्ड ठीक समझे ।

44. \*\*\* 2 के अधि. सं.20 की धारा 162 द्वारा (1-4-2003 से) लोप किया गया।

45. विवरणियां--राष्ट्रीय डेरी विकास वोर्ड, केंद्रीय सरकार को समय-समय पर ऐसी विवरणियां देगा, जो केंद्रीय सरकार अपेक्षा करे।

46. सेवा धिषयक स्कीमों ग्रोर विनियमों को मूतलक्षी रूप से बनाने की शक्ति---टस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधिकारियों या ग्रन्थ कर्मचारियों की सेवा-शर्तों या वैसे ही विषयों के संबंध में बनाई गई किसी स्कीम या विनियम को किसी ऐसी तारीख से, जो नियत दिन से पूर्वतर न हो, भतलक्षी रूप से बनाया जा सकेगा।

47. ग्रधिनियम का ग्रध्यारोही प्रभाव-इस अधिनियम के उपबंध कंपनी अधिनियम, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी ग्रन्य विधि में या इस ग्रधिनियम से भिन्न किसी विधि के ग्राधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, ग्रधिकरण या ग्रन्थ प्राधिकरण की किसी डिकी था ग्रादेश में उससे असंगत किसी बात के होते हए भी प्रभावी होंगे ।

48. विनियम बनाने की शक्ति—(1) वोर्ड, भारत के राजपत में ग्रधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों का उपबंध करने के लिए जिनके लिए इस ग्रधि-नियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना ग्रावश्यक या सनीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस ग्रधिनियम और उसके ग्रधीन बनाई गई स्कीमों के उपवंधों से ग्रसंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :---

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वोर्ड की बैठकों में कार-बाग के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और सदस्यों की वार् संख्या जिससे किसी बैठक की गणपूर्ति होगी ;

(ख) किसी प्रबंध समिति की बैठकों में उपस्थित होने या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी अन्य कार्य को करने और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रबंध समितियों की कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित अन्य विषयों के लिए, प्रबंध समिति के, मध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों से भिन्न, सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ; (ग) घारा 15 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए उच्चतर श्रेणी ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (4) में ययानिर्दिष्ट अधिकारियों ग्रौर ग्रन्थ कर्मचारियों या उनके कुटुंबों के स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रन्थ हितों के अभिवर्धन के लिए उपायों की विशिष्टियां ;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधियों के स्यापन या अन्रक्षण से संबंधित ब्यौरे के विषय ;

(च) शर्ते जिनके ग्रधीन धनराशियां घारा 26 की उपघारा (2) के ग्रधीन निक्षिप्त की जानी हैं ;

(छ) वह प्ररूप जिसमें ग्रौर वह रोति जिससे धारा 2 7 की उपधारा (1) के ग्रधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तुलनपत्न ग्रौर लेखे तैयार किए जाएंगे ;

(ज) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उसके निपटाए जाने की प्रक्रिया ;

(झ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्ते :

(ञा) कोई क्रन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

49. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस आधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत में प्रकाशित आदेश ढारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस आधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई द्रादेश नियत दिन से पांच वर्ष की समाग्ति के पक्ष्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के ऋधीन किया गया प्रत्येक द्यादेश, किए जाने के पश्चात् ययाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

50. स्कीमों ग्रौर विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना---इस आध-नियम के मधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम ग्रौर बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्न में हो, कुल तीस दिन की ग्रवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत में श्रथवा दो या अधिक आनुकीमक सत्नों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्न के या पूर्वोक्त आनुकीमक सत्नों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्न के या पूर्वोक्त आनुकीमक सत्नों के ठीक बाद के सत्न के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस स्कीम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्ठभाव हो जाएगा। किंतु स्कीम या विनियम के ऐसे पर्वितित या निष्ठभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विश्विमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


#### ग्रन्स्ची

#### [धारा 35(2) देखिए]

# विइवस्तता ग्रौर गोपनीयता की घोषणा

मैं.....में वर्णता स्वाहित से विकास कोई कि मैं वफादारी, सच्चाई स्रोर अपनो सर्वोत्तम विवेकबुद्धि स्रौर योग्यता से उन कर्तव्यों का निष्पादन स्रौर पालन करूंगा जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के (यथास्थिति) झध्यक्ष, निदेशक, समिति के सदस्य, लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझसे अपेक्षित हैं और जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में या उसके संबंध में मेरे द्वारा धारित किसी पद या ब्रोहदे से उचित रूप से संबंधित है।

मैं यह भी घोषगा करता हूं कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से संव्यवहार करो वाले किसी व्यक्ति के कार्यकलाप से संबंधित कोई जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को संसूचित नहीं करूंगा या नहीं होने दूंगा जो वैध रूप से उसका हकदार न हो ग्रौर न मैं ऐसे किसी व्यक्ति को, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की या उसके कब्जे में की ग्रौर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कारबार से या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से संव्यहार करो वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबंधित किन्हीं बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा ग्रौर न उन तक उसकी पहुंच होने दूंगा।



#### सं. 513] नई बिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 1987/आपिवन 20, 1909 No. 513] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 1987/ASVINA 20, 1909

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को कप म रका जा सक

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई विल्ली, 12 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 898(अ):---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 1 की उपधारा (2) ढ़ारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 अक्तूबर, 1987 को ऐसी तारोख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृक्त होगा।

> [फा. सं. 17-30/87-एल डी-1] एल० आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

1348 GI/87

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

# (Department of Agriculture & Cooperation) New Delhi, the 12th October, 1987 NOTIFICATION

S.O. 898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby appoints the 12th day of October, 1987, as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 17-30|87-LD.I] L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRIVITED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, FELHI-110054, 1987 रजिस्ट्री सं॰डी॰एल॰-30004/2002

REGISTERED NO. DL-30004/2002



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 1 PART II — Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं<sup>0</sup> 23] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2002 / वैशाख 23, 1924 No. 23] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2002 / VAISAKHA 23, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

#### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Legislative Department)

New Delhi, the 13th May, 2002/Vaisakha 23, 1924 (Saka) The following Act of Parliament received the assent of the President on the 11th May, 2002, and is hereby published for general information:—

THE FINANCE ACT, 2002

No. 20 of 2002

[11th May, 2002]

An Act to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2002-2003.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:-

#### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Finance Act, 2002.

43 of 1961.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 116 shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2002.

#### CHAPTER II

#### RATES OF INCOME-TAX

2. (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2002, income-tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and such tax as reduced by the rebate of income-tax calculated under Chapter VIII-A of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the Income-tax. Act) shall be increased by a surcharge for purposes of the Union calculated in each case in the manner provided therein.

(2) In the cases to which Paragraph A of Part I of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year, any net agricultural income exceeding five thousand

Short title and commencement.

Income-tax.

MD

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

In the case of more than one copy of the same issue of a registered newspaper being carried in the same packet-

for a weight not exceeding one hundred grams	50 paise

for every additional one hundred grams, or fraction thereof, exceeding one hundred grams

Provided that such packet shall not be delivered at any addressee's residence but shall be given to a recognised agent at the Post Office.

Parcels	
For a weight not exceeding five hundred grams	Rs. 19.00
For every five hundred grams, or fraction thereof, exceeding	
five hundred grams	Rs. 16.00.".

157. Section 43A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 shall be omitted with Omission of effect from the 1st day of June, 2002. section 43A of Act

158. Section 35A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 shall Omission of be omitted with effect from the 1st day of June, 2002. section 35A of Act

159. In the Oil Industry (Development) Act, 1974 [hereinafter referred to as the Oil Omission of Industry (Development) Act], section 22A shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2003.

160. In the Schedule to the Oil Industry (Development) Act, against Sl. No.1 relating to crude oil, for the entry in column 3, the entry "Rupees two thousand per tonne." shall be substituted.

161. (1) The notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 417(E), dated the 12th April, 2002 issued under sub-section (4) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act read with section 5A of the Central Excise Act, by the Central Government, shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of March, 2002 retrospectively and, accordingly, notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority, any action taken or anything done or purported to have been taken or done under the said notification, shall be deemed to be and always to have been, for all purposes, as validly or effectively taken or done as if the notification as amended by this sub-section had been in force at all material times.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Central Government shall have and shall be deemed to have the power to exempt the goods specified in the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the Central Government had the power to exempt the said goods under sub-section (4) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act read with section 5A of the Central Excise Act, retrospectively, at all material times.

(3) Refund shall be made of all such duty of excise, which have been collected, but which would not have been so collected, if the exemption referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

(4) Notwithstanding anything contained in section 11B of the Central Excise Act, an application for the claim of refund of the duty of excise under sub-section (3) shall be made within one year from the date on which the Finance Bill, 2002 receives the assent of the President.

Explanation .- For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would have been so punishable if the notification referred to in this section had not been amended retrospectively by this section.

162. Section 44 of the National Dairy Development Board Act, 1987 shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2003.

Omission of section 44 of Act 37 of 1987. Omission of

163. Section 22 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2003.

20 paise:

Act 47 of 1974. Amendment of the Schedule to Act 47 of 1974. Amendment of notification issued under sub-section (4) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act read with section 5A of the Central


Excise Act.

31 of 1956.

57 of 1972.

section 22A of

section 22 of Act 25 of 1990.



# HRC on USUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2004/फाल्गुन 4, 1925 No. 187] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2004/PHALGUNA 4, 1925

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

#### अधिसूचना

#### नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2004

का.आ. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को लोक वित्तीय संस्थाएं विनिर्दिष्ट करती हैं और उस प्रयोजन के लिए, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 (ii), तारीख 13 मई, 1978 में प्रकाशित विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1329, तारीख 8 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसुचना में, क्रम संख्यांक 40 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थातु :—

- ''41. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड;
  - 42. उत्तर प्रदेश प्रदेशीय औद्योगिक विनिधान निगम लिमिटेड;
  - 43. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम लिमिटेड;
- 44. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड;
- 45. पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड;
- 46. तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड''।

[फा. सं. 3/1/2003-सीएल V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :---भूल अधिसूचना का.आ. 1329 दिनांक 8 मई, 1978 को प्रकाशित हुई और निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

- 1. का.आ. 330, तारीख 21-2-1988
- 2. का.आ. 7(अ), तारीख 3-1-1990
- 3. का.आ. 238(अ), तारीख 20-3-1990
- 4. का.आ. 321(अ), तारीख, 12-4-1990
- 5. का.आ. 674(अ), तारीख 31-8-1990
- का.आ. 484(अ), तारीख 26-7-1991
- 7. का.आ. 812(अ), तारीख 2-12-1991
- 8. का.आ. 128(अ), तारीख 11-2-1992
- 9. का.आ. 765(अ), तारीख 8-10-1993

का.आ. 98(अ), तारीख 15-2-1995
का.आ. 247(अ), तारीख 28-3-1995
का.आ. 843(अ), तारीख 28-3-1995
का.आ. 843(अ), तारीख 17-10-1995
का.आ. 529(अ), तारीख 23-7-1996
का.आ. 857(अ), तारीख 9-12-1996
का.आ. 433(अ), तारीख 14-6-1999
का.आ. 440(अ), तारीख 17-4-2002
का.आ. 322(अ), तारीख 25-3-2003
का.आ. 518(अ), तारीख 9-5-2003, और
का.आ. 674(अ), तारीख 12-6-2003

574 GI/2004

(1)

#### MINISTRY OF FINANCE (Department of Company Affairs) NOTIFICATION

#### New Delhi, the 23rd February, 2004

S.O. 219(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby specifies the following institutions to be public financial institutions and for that purpose makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, published in the Gazette of India dated the 13th May, 1978 in Part II, Section 3(ii) *vide* in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) number S.O. 1329 dated 8th May, 1978, namely :—

In the said notification, after serial number 40, the following serial numbers and the entries relating thereto shall be inserted, namely :----

- "41. National Dairy Development Board;
- 42. The Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of U.P. Limited;
- 43. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited;
- 44. State Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited;
- 45. West Bengal Industrial Development Corporation Limited;
- 46. Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited".

[F. No. 3/1/2003-CL.V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note :--- The principal Notification published vide S.O. 1329 dated the 8th May, 1978 was subsequently amended by---

- 1. S.O. 330, dated 21-2-1988
- 2. S.O. 7(E), dated 3-1-1990
- 3. S.O. 238(E), dated 20-3-1990
- 4 S.O. 321(E), dated 12-4-1990
- 5. S.O. 674(E), dated 31-8-1990
- 6. S.O. 484(E), dated 26-7-1991
- 7. S.O. 812(E), dated 2-12-1991
- 8. S.O. 128(E), dated 11-2-1992
- 9. S.O. 765(E), dated 8-10-1993

- 10. S.O. 98(E), dated 15-2-1995
- 11. S.O. 247(E), dated 28-3-1995
- 12. S.O. 843(E), dated 17-10-1995
- 13. S.O. 529(E), dated 23-7-1996
- 14. S.O. 857(E), dated 9-12-1996
- 15. S.O. 433(E), dated 14-6-1999
- 16. S.O. 440(E), dated 17-4-2002
- 17. S.O. 322(E), dated 25-3-12003
- 18. S.O. 518(E), dated 9-5-2003, and
- 19. S.O. 674(E), dated 12-6-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.